353

461

न्यायालय श्रीमान् मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा, (म०प्र०)

COURT FEE
भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

आशीष सिंह तनय अशोक सिंह चंदेल निवासी ग्राम-देवरा, तहसील-देवसर, जिला-सिंगरौली म०प्र०

---------निगरानीकर्ता/आवेदिका

R. 2826-I/12

वनाम

छोटू तनय बुच्चड़ कोल निवासी ग्राम-देवरा, तहसील-देवसर, जिला-सिंगरौली म०प्र०

--------- अनावेदक

अधिवक्ता श्री रामनरेश मिश्रा द्वारा प्रस्तुत रीवा, दि० 28.7.2012
28/7/12

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश अपर कलेक्टर महोदय सिंगरौली द्वारा प्रकरण क्रमांक 149/ निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 30-05-12

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 ई०

मान्यवर,

निगरानी प्रकरण के आधारों को उल्लिखित करने के पूर्व प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, जो निम्नलिखित है:-

यह कि प्रकरण की वादग्रस्त भूमियां जो प्रश्नाधीन अपर कलेक्टर साहब के आदेश के पैरा 1 में उल्लिखित है कि स्वत्वधारी एवं आधिपत्यधारी आवेदक है, जिन पर वह विन्ध्यप्रदेश के समय से गैरहकदार काश्तकार के रूप में रिकार्डो पर दर्ज होने के कारण म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 ई० लागू होने पर संहिता की धारा 158 के तहत् आवेदक स्वमेव भूमिस्वामी हो गये है, किंतु राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त भूमियों के रिकार्डो में आवेदक का नाम दर्ज नहीं करने पर आवेदक ने बंदोबस्त

XXXIX(a)-BR(H)-11

353

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–2826-I/2012** जिला–सिंगरौली

आशीष सिंह / छोटू सिंह

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामनरेश मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 149 / निग0 / 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	